याचिकाकर्ताओं द्वारा (प्रेषित याचिका के आधार पर) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव का सारांश

परिचय

1. ,e-i|- पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (**MPPMCL**), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर (**MPPKVVCL**), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (**MPPaKVVCL**) और मध्य प्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, भोपाल (एमपीएमकेवीवीसीएल), जिसे बाद में वितरण कंपनी कहा गया है, ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के समक्ष l;Dr :i l वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और खुदरा आपूर्ति दर प्रस्ताव याचिका प्रस्तुत की है।

   वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और धारा 62 (1) (डी) के अन्तर्गत वितरण के लिए दर (टैरिफ) के निर्धारण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए विनियमों का पालन करते हुए बनाया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी–35 (II) वर्ष 2015) दिनांक 17 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया । आयोग द्वारा इन विनियम में प्रथम संशोधन किया गया जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 07.12.2018 को प्रकाशित हुआ।

2. <u>विक्रय का आंकलन</u>

3. विक्रय के प्रक्षेपण के उद्देश्य से, वितरण कंपनियों ने प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त और उचित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (**CAGRs**) और शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में इसकी उप-श्रेणियों को अलग-अलग माना है।

4. **विक्रय के आंकलन हेतु** पूर्ववर्ती चार वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15, वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिजली की बिक्री, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित / अनुबंधित भार आदि की श्रेणीवार और स्लैब वार वास्तविक आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018-19 अर्थात जुलाई 2018 के महीने **पर** भी विचार किया गया है।

5. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के अंतर्गत, अतिरिक्त 19.82 लाख घरेलू परिवारों को वितरण कंपनी के साथ जुड़ने की उम्मीद है। इसलिए, सामान्य वृद्धि के ऊपर और अधिक, सौभाग्य योजना और **IPDS** योजना के तहत अतिरिक्त कनेक्शनों को भी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान की गणना करते हुए और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विक्रय के अनुमान को दृष्टिगत रखा गया है।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूर्व प्रवृत्ति और मानक के आधार पर अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विक्रय के उपयोग का प्रक्षेपण अनुमोदित किया गया है । वितरण कंपनी द्वारा विक्रय के अनुमान प्रक्षेपण निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित हैं :

विक्रय- बहुवर्षीय दर **अवधि** वित्त वर्ष 2018 से 2020– **MU's**

वितरण कंपनी	वित्त वर्ष-18	वित्त वर्ष-19 (पुनरीक्षित ऑकलन)	वित्त वर्ष-20
पूर्व क्षेत्र कंपनी	14103	15993	17701
मध्य क्षेत्र कंपनी	13276	15508	16725
पश्चिम क्षेत्र कंपनी	18608	20532	21509
योग निम्नदाब + उच्चदाब	45987	52033	55936

ऊर्जा आवश्यकता

7. वित्त वर्ष 2019-2020 की अनुमानित विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक विद्युत को आयोग द्वारा अधिसूचित मानक gkfu प्रतिशत को आधार मानकर गणना की गई है। तीनों वितरण कंपनियों के लिए एक्स-बस में ऊर्जा की आवश्यकता का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु एक्स-बस ऊर्जा क्रय (मानक gkfu)

स. क्र.	विवरण	वि.वर्ष 20			
		म.प्र.राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
1	विक्रय (मि.यू.)	**55,936**	**17,701**	**16,725**	**21,509**
	निम्नदाब	**43,250**	**14,088**	**12,791**	**16,371**
	उच्चदाब	**12,686**	**3,614**	**3,934**	**5,138**
2	वितरण हानियां %	**16.24%**	**16.00%**	**17.00%**	**15.00%**
	मि.यूनिट	**10,849**	**3,361**	**3,461**	**4,026**
3	वितरण कंपनियों की सीमा पर विद्युत आवश्यकता (मि.यू)	**66,784**	**21,063**	**20,187**	**25,535**
4	राज्य पारेषण हानियां	**2.71%**	**2.71%**	**2.71%**	**2.71%**
	मि.यूनिट	**1,860**	**587**	**562**	**711**
5	राज्य की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता (मि.यू.)	**68,644**	**21,649**	**20,749**	**26,246**
6	वाहय हानियां – पश्चिम क्षेत्र	**3.35%**	**3.35%**	**3.35%**	**3.35%**
	वाहय हानियां - उत्तर क्षेत्र	**4.08%**	**4.08%**	**4.08%**	**4.08%**
	वाहय हानियां – पूर्व क्षेत्र	**1.98%**	**1.98%**	**1.98%**	**1.98%**
	मि.यूनिट	**1,323**	**420**	**401**	**502**
7	एक्स-बस ऊर्जा आवश्यकता	**69,968**	**22,070**	**21,150**	**26,748**

विद्युत क्रय लागत

8. वितरण कंपनियों ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए आगामी वर्षों के लिए बिजली की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर सीमित (नियंत्रित) अवधि के लिए विद्युत क्रय का अनुमान लगाया है । पूर्वानुमान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करके किया है ।

• मप्र की दीर्घकालिक आबंटित उत्पादन की क्षमता

• म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी, सेन्ट्रल सेक्टर, संयुक्त उद्यम के लिए वित्त वर्ष 2019 और वित्तीय वर्ष 2020 की अवधि के दौरान नवीन उत्पादन केन्द्र की क्षमता एवं इसके साथ प्रतिस्पर्धी बोली से ठेका लेने वाली निजी उत्पादन कंपनियों के द्वारा

• पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के आवंटन का प्रभाव

9. वितरण कंपनियों ने कम से कम लागत के स्त्रोतों के इष्टतम उपयोग के लिए मेरिट आर्डर सिद्धान्त के आधार पर विद्युत क्रय का अनुमान लगाया है। हालाँकि, राज्य की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने और पावर एक्सचेंज पर बिजली बेचने के बाद, वितरण कंपनियों को एमओडी (मेरिट आर्डर fMLip) के आधार पर fofHkUu प्लांटस को आंशिक रूप से बैकडाउन करना पड़ता है। एमओडी में जो महंगे पावर है उन्हें बैक-डाउन किया जाता है। कुल उपलब्धता और बैक-डाउन का सारांश नीचे दिया गया है:

उपलब्धता - बहुवर्षीय दर **अवधि** वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 (मि.यूनिट)

विवरण	वित्त वर्ष-18	वित्त वर्ष-19	वित्त वर्ष-20
बेक डाउन के पहले एक्स-बस उपलब्धता (मि.यूनिट)	**82,163**	**81,635**	**90,932**
घटाया – उत्पादन केन्द्र में बैंक डाउन (मि.यूनिट)	**13,064**	**7,365**	**8,175**
उत्पादन केन्द्र में उपलब्धता (मि.यूनिट)	**69,099**	**74,271**	**82,757**
घटाया – आधिक्य विद्युत का विक्रय (मि.यूनिट)	**3,802**	**9,131**	**12,789**

10. विद्युत क्रय लागतों का निर्धारण करते समय, पिछले 12 महीनों के वास्तविक बिलों के आधार पर निश्चित लागत का विचार किया गया है। ifjoruh; प्रभार (वैरीएबल चार्जेस) को भी पिछले 12 महीनों के वास्तविक बिलों के आधार पर लिया गया है। अधिशेष (सरप्लस) के लिए समायोजन के पश्चात कुल लागत तीनों वितरण कंपनियों के बीच प्रत्येक वितरण कंपनी लिए राज्य की सीमा पर मासिक विद्युत की आवश्यकता के अनुसार वितरित की जाती है।

<u>**अधिशेष विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व**</u>

11. विद्युत आपूर्ति की स्थिति के अनुसार, राज्य में आगामी वर्ष में अधिकांश महीनों में अधिशेष विद्युत होने की उम्मीद है। वर्तमान में एम.पी.पी.एम.सी.एल. प्रचलित दरों पर पावर एक्सचेंज (**IEX**) के माध्यम से अधिशेष विद्युत का निपटान करता है। एम.पी.पी.एम.सी.एल. ऐसी अधिशेष विद्युत को उस समय प्रचलित बाजार की स्थितियों के मूल्य के आधार पर विक्रय करने की कोशिश करता है। वितरण कंपनियों की विद्युत अधिशेष, समग्र विद्युत उपलब्धता और विद्युत की आवश्यकता के साथ-साथ विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यह राजस्व ifjoruh; विद्युत खरीद लागत से घटाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अधिशेष बिजली की बिक्री से 4,308 करोड़ रुपये तक की आय का प्रस्ताव किया है।

<u>मैरिट आर्डर fMLip और महंगे पावर स्त्रोत को बैक-डाउन करना</u>

12. राज्य की आवश्यकता को पूरी तरह से पूर्ण करने और पावर एक्सचेंज पर विद्युत विक्रय के पश्चात, याचिकाकर्ताओं को आंशिक रूप से संयंत्र (**PLANT**) को बैक-डाउन करना पड़ता है, ताकि परिवर्तनीय लागतों (वैरीएबल कॉस्ट) को बचाया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने एमपीपीएमसीएल को आवंटित सभी विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर विचार करने के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिवर्तनीय लागत के आधार पर महीने-वार मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.) सिद्धांत लागू किया है।

13. याचिकाकर्ताओं ने उन इकाइयों / स्टेशनों के आंशिक बैक-डाउन पर भी विचार किया है जो MoD में उच्च स्तर (महंगे) पर हैं, (बशर्ते कि ऐसे स्टेशनों की परिवर्तनीय लागत रु. 2.83 प्रति यूनिट से अधिक हो), उस अवधि के दौरान जब उनके चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। उस अवधि में मांग और बाजार की दर के आधार पर उनके चलाने का औचित्य नहीं रहता है। जब मांग में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित होता है, तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि सस्ते स्रोतों से प्राप्त बिजली का पूरी तरह से उपयोग किया जावे। और महंगे स्रोतों से विद्युत के क्रय से बचा जावे। कम विद्युत क्रय लागत या उच्च दर पर विद्युत विक्रय का जो ifj.kkeh लाभ होता है वह अन्ततः उपभोक्ता को प्राप्त होता है।

14. नव करणीय विद्युत क्रय लागत, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार, अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार और एमपीपीएमसीएल प्रभार सहित एवं अधिशेष विक्रय से प्राप्त राजस्व के समायोजन mijkr forj.k difu;k dh ifjf/k ij vkdfyr विद्युत क्रय लागत संक्षेप में निम्नानुसार है:

विद्युत क्रय लागत (पारेषण लागत सहित)– वित्तीय वर्ष 2019-20

विवरण	वि.व. 2019-20			
	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र.राज्य
वितरण कंपनी के इंटरफेस पर कुल विद्युत क्रय लागत (रू. करोड़ में)	8406	7531	10706	26,643
वितरण कंपनी की सीमा पर विद्युत क्रय (मि.यू.)	21,063	20,187	25,535	66,784
वितरण कंपनी की सीमा पर विद्युत क्रय की दर (Rs./ kWh)	399	373	419	3.99

<u>वर्ष 2019-20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता</u>

15. एम.पी.पी.एम.सी.एल. और तीनों वितरण कंपनियों की कुल राजस्व आवश्यकता को म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के बहुवर्षीय दर के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एवं सकल राजस्व आवश्यकता के fofHkUu घटकों के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्व को वर्तमान दर के आधार पर मान्य किया गया है और तदनुसार अंतर की गणना की गई है।

16. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राशि रू. 38163 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता का दावा प्रस्तुत है। (आयोग द्वारा स्वीकृत सत्यापन राशि सहित) इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय वर्ष 2018-19 में दावा राशि का विवरण

क्र.	सकल राजस्व आवश्यकता का विवरण		पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य
1	कुल सकल राजस्व आवश्यकता (सत्यापन को छोड़कर)	करोड़ रु	10,693	9,962	13,039	33,693
2	वर्तमान दर के अनुसार राजस्व	करोड़ रु	10,656	10,348	13,061	34,065
3	अन्तर (सत्यापन को छोड़कर)	करोड़ रु	37	(386)	(23)	(372)
4	गत वर्ष की सत्यापित **राशि** का प्रभाव					
अ	वि.वर्ष 2015-16 में पारेषण कंपनी पर सत्यापन का प्रभाव	करोड़ रु	21	20	25	67
ब	वि.वर्ष 2015-16 में उत्पादन कंपनी पर सत्यापन का प्रभाव	करोड़ रु	144	154	185	483
स	वि.वर्ष 2013-14 में वितरण कम्पनियों पर सत्यापन का प्रभाव	करोड़ रु	1,118	1,634	1,346	4,098
5	कुल सकल राजस्व आवश्यकता (सत्यापन सहित)	करोड़ रु	11,915	11,644	14,604	38,163
6	कुल राजस्व का अन्तर (सत्यापन सहित)	करोड़ रु	1,259	1,296	1,542	4,098
7	आपूर्ति की औसत लागत (सत्यापन सहित)	रु/ यूनिट	6.73	6.96	6.79	6.82
8	प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व	करोड़ रु	1,259	1,296	1,542	4,098

क्र.	सकल राजस्व आवश्यकता का विवरण		पूर्व	मध्य	पश्चिम	म.प्र.राज्य
9	प्रस्तावित दरों से कुल राजस्व	करोड़ रु	**11,915**	**11,644**	**14,604**	**38,163**
10	शेष राजस्व अन्तर	करोड़ रु	-	-	-	-

दर वृद्धि के लिए तर्क

17. वितरण कंपनियों ने राजस्व अंतर को कम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए नियत और ऊर्जा प्रभार में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। अनियंत्रित कारकों जैसे, आर.पी.ओ. ऑब्लीगेशन , उपभोक्ता मिश्रण में अन्तर राजस्व में कमी, ओपन एक्सेस का उपयोग एवं साथ ही साथ मुद्रास्फीति के कारण बढ़ने वाली अतिरिक्त लागत को दृष्टिगत रखते हुए वितरण कंपनियों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर दर वृद्धि प्रस्तावित की गई है । वितरण कंपनियॉ यह स्वीकार करती है कि बढ़ती हुई लागतें जो उसके नियंत्रण में नहीं है को दृष्टिगत रखते हुए अस्तित्व बचाये रखने के लिए दर वृद्धि आवश्यक है ।

18. यह प्रस्तुत किया गया है कि खुदरा दर में उचित वृद्धि के बिना वितरण कंपनियों के लिए कम से कम अपनी संचालन व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं होगा ।

क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार

19. संशोधित राष्ट्रीय टैरिफ (दर) नीति में अधिसूचित गणना पद्धति के आधार पर, वितरण कंपनियों ने क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और अतिरिक्त अधिभार का प्रस्ताव किया है । सितंबर 2017 से आरम्भ होकर अगस्त 2018 तक के पूर्व 12 महीनों के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, छोड़ी (सरेन्डर) हुई विद्युत की भारित औसत मासिक नियत दर पर विचार करके अतिरिक्त अधिभार की गणना की गई है, जो कि उत्पादन केन्द्र के दैनिक छोड़े (सरेन्डर) गये विद्युत भारित नियत दर पर आधारित है । ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार रू. 1.26 प्रति यूनिट की गणना की गई है ।

दर प्रस्ताव

20. विक्रय बढ़ाने और नए उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रगतिशील टैरिफ प्रस्ताव को वितरण कंपनी द्वारा आगे रखा गया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता आधार में वृद्धि का एक सापेक्ष प्रभाव होगा, क्योंकि लागत अधिक हो जाएगी और वितरण कंपनी का राजस्व बढ़ जाएगा । यह माना जाता है कि वितरण कंपनी के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अपने विक्रय को बढ़ाए बिना अपनी संचालन व्यवस्था बनाए रखे और इस याचिका के माध्यम से मांगी गई खुदरा दरों में उचित बढ़ोतरी प्राप्त कर सके ।

21. प्रचलित छूट के साथ ही पिछले दर आदेश में पहले से ही उपलब्ध उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए छूट के अलावा, कैप्टिव और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को छूट देना आरम्भ किया गया है, ताकि ऐसे उपभोक्ता वितरण कंपनियों के सापेक्ष अपनी मांग को स्थानांतरित कर सके । रेलवे को छूट भी उसके लिए विद्युत प्रतिस्पर्धी बनने और उच्चदाब विक्रय को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है ।

22. राजस्व अन्तर में कमी को सुगम बनाते हुए निम्नलिखित दर तालिका प्रस्तावित की जाती है । श्रेणीवार दर में पिछले वर्ष की तुलना में परस्पर वृद्धि अथवा कमी को भी प्रस्तुत किया गया है :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित राजस्व तालिका

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि. यूनिट	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	प्रतिशत में
एल.व्ही-1	घरेलू	**15707**	**9577**	**10727**	**1150**	**12.01%**
एल.व्ही-2	गैर-घरेलू	**3437**	**2899**	**3214**	**314**	**10.85%**
एल.व्ही-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	**1315**	**775**	**866**	**91**	**11.79%**
एल.व्ही-4	निम्नदाब उद्योग	**1451**	**1186**	**1327**	**141**	**11.88%**
एल.व्ही-5	कृषि पम्प	**21337**	**11007**	**12308**	**1301**	**11.82%**
एल.व्ही-6	ई.व्ही. चार्जिंग	**3**	**2**	**2**	**0**	**0.00%**
	योग (निम्नदाब)	**43250**	**25445**	**28443**	**2997**	**11.78%**
एच.व्ही-1	रेल्वे कर्षण	**111**	**54**	**54**	**0**	**0.00%**
एच.व्ही-2	कोयला खदाने	**495**	**390**	**442**	**52**	**13.36%**
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	**7104**	**4994**	**5637**	**643**	**12.88%**
एच.व्ही-3.2	गैर औद्योगिक	**1145**	**861**	**972**	**111**	**12.88%**
एच.व्ही-3.3	शॉपिंग मॉल	**104**	**81**	**91**	**10**	**12.93%**
एच.व्ही-3.4	गहन पावर उद्योग	**2112**	**1256**	**1418**	**162**	**12.87%**
एच.व्ही-4	मौसमी	**23**	**20**	**22**	**2**	**10.77%**
एच.व्ही-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवँ कृषि संबंधित अन्य उपयोग	**1103**	**648**	**732**	**84**	**12.99%**
एच.व्ही-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	**457**	**288**	**324**	**35**	**12.29%**
एच.व्ही-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	**22**	**22**	**23**	**0**	**1.49%**
एच.व्ही-8	एच.टी ई.व्ही. चार्जिंग	**9**	**6**	**6**	**0**	**0.00%**
	योग (उच्चदाब)	**12686**	**8620**	**9720**	**1100**	**12.77%**
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	**55936**	**34065**	**38163**	**4098**	**12.03%**

23. वितरण कंपनियां आयोग से निवेदन करती है कि वितरण कंपनियों द्वारा सैद्धान्तिक रूप से प्रस्तावित दरों पर विचार करने की कृपा करें :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दर प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं:-

24. याचिकाकर्ताओं ने निम्नदाब और उच्चदाब दर के सामान्य नियमों और शर्तों में कुछ ifjorZu के साथ दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(अ) दर सरलीकरण उपाय

- वित्त वर्ष 2019-20 के दर प्रस्ताव में, दर संरचना की जटिलता को कम करने का प्रयास रहा है। इन प्रयासों से दर संरचना की सरलता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए । दर के सरलीकरण के प्रमुख प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :-
- सभी निम्नदाब श्रेणियों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिश्रित कर दिया गया है, क्योंकि वितरण कंपनियां आज शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर रही है और इसलिए शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दर होने से दर संरचना में अनावश्यक जटिलता पैदा होती है। । अतएव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान दर प्रस्तावित है ।
- अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू कनेक्शन के लिए अलग-अलग स्लैब को एकल स्लैब में मिला दिया गया है । इस श्रेणी में बिलिंग के उद्देश्य के लिए लोड सत्यापन / भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है, जो अनावश्यक भ्रम पैदा करता है । अतएव एक स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।
- गैर-घरेलू दर श्रेणी में टैरिफ उप-श्रेणियां **LV-**2.1 **& LV-** 2.2 को एकल-घरेलू दर श्रेणी में विलय कर दिया गया है, साथ ही एक्स-रे संयंत्र के लिए अतिरिक्त निश्चित शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।
- सार्वजनिक जल कार्यों के लिए दर उप-श्रेणियां **LV-**3.1 और पथ प्रकाश के लिए **LV-**3.2 को विलय करके एकल दर (**PWW**) सार्वजनिक जल कार्य एवं पथ प्रकाश श्रेणी बना दी गई है । नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए मौजूदा अलग-अलग टैरिफ को एकल दर में विलय करने का प्रस्ताव किया गया है ।
- मौसमी दर उप-श्रेणी **LV** 4.2 को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है ।
- प्रस्तावित है कि fofHkUu दर Jf.k;k के अस्थायी कनेक्शन के दरों को अलग किया जावे एवं अस्थायी कनेक्शन हेतु एक सामान्य अनुच्छेद इस प्रकार निर्मित किया गया है कि अस्थायी कनेक्शन की दरों को lcf/kr श्रेणी में सामान्य दर से 1.25 गुना किया जावे और इसे सामान्य नियम एवं शर्तो में लिया जाये ।

(ब) अन्य प्रस्ताव

- एचवी -3 दर श्रेणी में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले फीडरों के माध्यम से आपूर्ति के लिए छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि एचटी उपभोक्ता औद्योगिक फीडरों के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपूर्ति **24x7** है ।
- राज्य में विद्युत अधिशेष परिदृश्य के दृष्टिगत लाइसेंसधारियों ने "एलटी टैरिफ के लिए सामान्य नियम और शर्तें" के खंड 6 में निर्दिष्ट 15% की वर्तमान सहनशील सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, और एचटी दर के लिए "सामान्य नियम और शर्तों के खंड 1.15" अपनी क्षणिक आवश्यकताओं के कारण उपभोक्ताओं की किसी भी महीने में दर्ज अधिकतम मांग का 20% किया जाना प्रस्तावित है ।

- चूंकि वर्तमान पावर फैक्टर अधिभार द्वारा उपभोक्ता के निम्न शक्ति कारक (लो पावर फेक्टर) का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए एलटी आपूर्ति के लिए सामान्य नियम और शर्तों में मौजूदा वेल्डिंग अधिभार को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। एलटी आपूर्ति में सामान्य नियम और शर्तों में लोड फैक्टर प्रोत्साहन के वर्तमान प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- टैरिफ की जटिलता को कम करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि पावर फैक्टर इंसेंटिव की रेंज 05% से 10% तक अलग-अलग पावर फैक्टर में घटाकर तीन स्लैब - 2% (85.01% -90%), 3.5% (90% - 95%) और 7% (95.01% से 100%) मात्र की जावे ।
- उपभोक्ताओं द्वारा शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 0.25% की वर्तमान छूट को 0.50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा तत्काल भुगतान प्रोत्साहन के संबंध में "एलटी टैरिफ के लिए सामान्य नियम और शर्तें" के वर्तमान खंड को संशोधित किया गया है ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को उसमें शामिल किया जा सके जहां वर्तमान e\kf l d बिलिंग रू. 10,000/- या उससे vf/kd है।
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ बिलों का समय पर और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इच्छुक उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल जैसे ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिल वितरित करने का प्रस्ताव किया है।
- गौशाला में चारे की खेती हेतु सिंचाई आदि गतिविधिओं को एल.व्ही.-5.1 एवं एल.व्ही.-5.4 कृषि दरों में समाहित करना।

<u>नियामक आयोग के समक्ष प्रार्थना</u>

25. एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. ओर सभी वितरण कंपनियॉ पूर्ण सम्मान के साथ आयोग से प्रार्थना करते हैं :-

i. उपरोक्त वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता / दर याचिका को रिकॉर्ड पर लें और इसे पूर्ण मानें।

ii. मध्य प्रदेश राज्य के लिए रुपये **38,163** करोड़ के शुद्ध सकल राजस्व आवश्यकता क्रमश: पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के लिए रुपये **11,774** करोड़, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी के लिए रुपये **11,982** करोड़ और पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के लिए रुपये **14,407** करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए रुपये **4098** करोड़ का राजस्व अंतर, क्रमशः पूर्व क्षेत्र कंपनी के लिए रुपये **1,118** करोड़, मध्य क्षेत्र कंपनी के लिए रुपये 1,**634** करोड़ और पश्चिम क्षेत्र कंपनी के लिए रुपये **1,346** करोड़ स्वीकृत करने की कृपा करें।

iii. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग, से निवेदन है कि एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. को व्यय की अनुमति देने के लिए अनुमति प्रदान करे और जैसा कि mYyf[kr है कि तीनों वितरण कंपनियों के विद्युत क्रय लागत के रूप में समाहित करे और अंतत: न्याय प्रदान करे।

iv. आगामी वर्ष के लिए लागतों की वसूली के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वितरण कंपनियों के दर प्रस्ताव याचिका पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना।

v. पुनरीक्षित दर की आवेदित frfFk से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता दर याचिका के आधार पर ओपन एक्सेस वाले ग्राहकों एवं केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए व्हीलिग चार्जिंग, वोल्टेज स्तर और उपभोक्ता श्रेणी वार क्रॉस सब्सिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और ट्रांसमिशन शुल्क निर्धारित करना।

vi. किसी भी अनजानी भूल-चूक / त्रुटियों / कमियों को क्षमा करें और इस प्रस्ताव में किसी भाग को जोड़ने / ifjofrr करने / संशोधित करने / बदलने के लिए वितरण कंपनियों को अनुमति दें एवं पश्चातवर्ती fLFkfr में आवश्यकतानुसार प्रस्तुतियाँ देने हेतु अनुमति प्रदान करें ।

vii. ऐसा आदेश पारित करें जिसे आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार सही और उचित समझे।